



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223799
CG-DL-E-19122020-223799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 643]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 775 (अ).—पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4 और धारा 29 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित मसौदे का प्रस्ताव, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए, एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों को शामिल करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (विपणन), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली -110 107 को संबोधित किया जा सकता है या इसे jsm.png@nic.in ईमेल पर भेजा जा सकता है:।

मसौदा नियम

1. इन नियमों को पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।
2. पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 144 के उप-नियम (6) में, शब्द "या हवाई अड्डा" के बाद, शब्द "या रेलवे" जोड़ा जाएगा।

[एफ. सं. पी -11045/61/2019-वित्त.]

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

नोट: - भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 204(ई) दिनांक 13 मार्च, 2002 के माध्यम से प्रमुख नियमावली प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 384(ई) दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2020

G.S.R. 775(E).—The following draft of certain rules further to amend the Petroleum Rules, 2002 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4 and sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), is hereby published as required by sub-section (4) of section 29 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the draft rules are made available to the public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Marketing), Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi-110 107 or sent by email at: jsm.png@nic.in.

Draft rules

1. These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2020.
2. In the Petroleum Rules, 2002, in rule 144, in sub-rule (6), after the words “or Airport”, the words “or Railways” shall be inserted.

[F. No.P-11045/61/2019-Dist.]

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 204(E), dated the 13th March, 2002 and last amended vide notification number G.S.R. 384(E), dated the 29th May, 2019.